न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 102/2022 – निगरानी

1. पन्नालाल पिता चुन्नीलाल रेगर निवासी शम्भुगढ तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. सीमा पत्नी दिनेश रेगर निवासी शम्भूगढ तहसील आसींद
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शम्भूगढ ग्राम पंचायत कार्यालय शम्भूगढ तहसील आसींद
3. सरपंच ग्राम पंचायत शम्भुगढ ब्लॉक आसींद जिला भीलवाड़ा
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति शम्भुगढ़ ब्लॉक आसींद जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत शम्भूगढ पट्टा संख्या 28 दिनांक 26/12/2019

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री उदय सिंह चारण अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत शम्भुगढ द्वारा पत्रावली 634/05.12.2019 कायम कर पट्टा संख्या 28 दिनांक 26.12.2019 संकल्प संख्या 6/05.12.2019 जारी किया गया है जो कि आबादी भूमि का आवंटन परिवार में अनुपालना में कब्जे में अस्थाई मकानों/कच्चे मकानों का नियमितिकरण के तहत उक्त आवासीय जायदाद विपक्षी संख्या 1 की मौरूसी भूमि मानते हुए, विपक्षी संख्या 1 के नाम 50बाई20=1000 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। जिसका पंजीयन दिनांक 14.01.2020 को किया गया। उक्त भूखण्ड पुश्तैनी नहीं होकर उक्त भूखण्ड का पूर्व में पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 33 दिनांक 30/12/1970 को दर्ज कर दिनांक 08/11/1981 को बापी पट्टा मोहन पिता नारायण रेगर के नाम जारी किया गया, जो दिनांक 14.11.2019 को पुनः नवीनीकृत किया गया।

अति. जिला कलक्टर

पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 33 दिनांक 30/12/1970 को दर्ज कर दिनांक 08/11/1981 को बापी पट्टा मोहन पिता नारायण रेगर के नाम जारी किया गया, जो दिनांक 14.11.2019 को पुनः नवीनीकृत किया गया। उक्त भूखण्ड का 1/2 आधा हिस्सा बेचान इकरारनामा के आधार पर 1000 वर्गफीट का हिस्सा धोखा व छलकपट कर उसने धोखे से हस्ताक्षर करवा कर इकरारनामा का निष्पादन कराया जिसके आधार पर पैतृक सम्पत्ति नहीं माना जा सकती है। एक ही भूखण्ड के 2 पट्टे जारी नहीं हो सकते हैं इसलिए पैतृक भूखण्ड मानकर जो पट्टा जारी किया गया वह अवैध होकर शून्य प्रभावी है। विपक्षी 1 के पति दिनेश पिता चुन्नीलाल रेगर के नाम पर ग्राम शम्भूगढ में पहले से ही ग्राम पंचायत शम्भूगढ द्वारा दिनांक 31/08/2018 को पट्टा जारी किया हुआ है तथा तथाकथित पट्टा उसी निशुल्क पट्टे के प्रारूप में जारी किया गया व पट्टा का पंजीयन पैतृक भूखण्ड मानकर पंजीयन किया गया। इस प्रकार पट्टा जारी करने से पंजीयन की जाने तक की सारी प्रकिया विधि विरूद्ध होकर पंचायती राज संशोधित नियम 1994 के विपरीत होने से अपास्त होने से अपास्त होने लायक है। विपक्षी संख्या 1 का पति राजकीय सेवा में अध्यापक है ऐसी स्थिति में निशुल्क पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। उक्त तथाकथित भूखण्ड की जायदाद वास्तिविक रूप से प्रार्थी निगरानीकार के पूर्वजों की थी जोकि धन्नाजी रेगर की थी जिनके दो पुत्र क्रमशः बगतावर व नारायण हुए। बगतावर के चुन्नीलाल व मोहन हुए किन्तु तथाकथित पट्टा अकेले मोहन के नाम पर जारी कर दिया जबकि चुन्नीलाल का एवं उसके वारिसान का भी एक व हिस्सा निहित है। इनकी सहमति लिए बिना मोहन पिता नारायण के नाम पर पट्टा जारी नहीं हो सकता है व मोहन के विक्रय इकरारनामा के आधार पर गलत रूप से पट्टा जारी दिनांक 26/12/2019 को जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इकरारनामा दिनांक 30.12.2019 का पट्टा 26.12.2019 है। जिसके बाबत् अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जांच व तहकीकात किए बिना ही विधि विरूद्ध निर्णय किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना परिवार के सहमति लिए ही उक्त भूखण्ड को पैतृक सम्पत्ति मानते हुए विधि विरूद्ध संकल्प(प्रस्ताव संख्या 6) लेकर तथाकथित पट्टा जारी कर दिया गया। निवेदन है कि पत्रावली संख्या 634/05.12.2019 से दिनांक 26.12.2019 को बापी पट्टा जारी किया जिसे निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार ने वर्णित जायदाद को

तथा उक्त जायदाद को न ही पुश्तैनी माना । प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया गया जिसकी अपील निगराकार ने अपर जिला न्यायाधीश गुलाबपुरा में प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 6/2022 होकर निर्णय दिनांक 11/10/2022 को पूर्ण विवेचन कर सभी जायदाद को पुश्तैनी नहीं मानकर तथा निगराकार का हिस्सा नहीं मानकर अपील खारिज की। निगराकार एवं उसके भाईयों के पैतृक जायदाद गांव–बरारियों का बाडिया ग्राम पंचायत मोगर तहसील बदनोर में स्थित होकर पैतृक आवासीय एवं कृषि भूमि वही स्थित थी जिसको निगराकार द्वारा परिवार की सहमति बगैर शादीशुदा पत्नि घर में होते हुए भी दिनांक 08/12/2020 को दूसरी लडकी 'सम्पत देवी को लेकर फरार होने के कारण सामाजिक रिति रिवाज मुताबिक सम्पत देवी का फैसला करवाने में ग्राम बरारियों का बाडिया की समस्त पैतृक सम्पति जिसमें निगराकार के भाईयों को विरासतीय हक हिस्सा सहित बेचान कर दिया। आवासीय मकान को सुरजमल पिता चतरा रेगर और कृषि भूमि को ताराचन्द पिता चतरा व प्रेमचन्द पिता नारायण रेगर निवासी बरारियों का बाडिया को बेचान किया। जिसके गवाह निगराकार का काका सोहन है। पैतृक एवं विरासतीय जायदाद का बैचान निगराकार पन्नालाल के कारण हुआ और बेंचान करने सें चुन्नीलाल के वारिस विरासतीय हक हिस्से से महरूम हो गए। इस बाबत् दस्तावेज सिविल न्यायालय आसींद में प्रस्तुत किए और उस आधार पर सिविल न्यायालय व अपील न्यायालय द्वारा निर्णय प्रदान किए गए। निवेदन है कि निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन बोगस व झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि गैर निगराकार संख्या 01 स्वयं ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि उक्त प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पुश्तैनी नही होकर स्वअर्जित खरीदशुदा हैं। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पटटा 'आबादी भूमि का आवंटन/परिवार में कब्जे के अस्थायी मकानों/कच्चे मकानों का नियमितीकरण ' के तहत नियम 157 (2) के तहत जारीशुदा हैं। नियम 157(2) के तहत प्रश्नगत पटटा निशुल्क जारी किया गया। इसी प्रकार प्रश्नगत पटटे में अंकित किया हुआ हैं कि आवंटिती के परिवार के पास कहीं भी कोई घर, निवास स्थल नही हैं। जबकि स्वयं निगराकार ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है गैर निगराकार संख्या 01 के पति के पास पूर्व में कितने ही भूखण्ड खरीदे व उसके पटटे बनवाये हो, जिससे विपक्षी सख्या 01 द्वारा खरीद किये गये भूखण्ड का पटटा अवैध नही हो जाता हैं। इससे यह जाहिर होता हैं कि विपक्षी

संख्या 01 के पति के पास पूर्व में भूखण्ड का पटटा या भूखण्ड उपलब्ध हैं। अतः विपक्षी संख्या 01 के नाम पर नियम 157(2) के तहत निशुल्क पटटा जारी किया जाना विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों का उल्लंघन कर गैर निगराकार संख्या 01 को नियम 157(2) के तहत जो पट्टा संख्या 28 दिनांक 26.12.2019 को जारी किया गया, वह विधि विरूद्व होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत शम्भूगढ को निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 के पूरे परिवार से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेजात एवं गैर निगराकार संख्या 01 के जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों, जिसमें मोहन के हिस्से को कयशुदा किया जाकर प्रश्नगत पटटा जारी कराये जाने के संबंध में दस्तावेजात का परीक्षण किया जाकर, पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के तहत नये सिरे से नियमानुसार पटटा जारी किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत शम्भूगढ द्वारा जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 26.12.2019 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत शम्भूगढ को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा भूखण्ड की पुश्तैनी जायदाद एवं पूरे परिवार से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेजात एवं गैर निगराकार संख्या 01 के जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों, जिसमें मोहन के हिस्से को कयशुदा किया जाकर प्रश्नगत पटटा जारी कराये जाने के संबंध में दस्तावेजात का परीक्षण किया जाकर, पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के तहत पात्र व्यक्ति के नाम, नये सिरे से पटटा जारी किया जावे। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत शम्भूगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा